तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6242/2005/चित्तोडगढ झुमकू बनाम कमला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-05-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थिति नहीं **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा दिनांक 10-11-2005 को अपील संख्यचा 64/2004 अनुवानी कमला वगैरा बनाम झमकू वगैरा में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/वर्तमान निगराकार संख्या 1से 3 द्वारा सहायक कलक्टर, कपासन के समक्ष इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व उसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत ग्राम जासमा स्थित आराजी कुल किता 9 कुल रकबा 6-24है0 तथा खाता संख्या 2 की आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 0-90 है0 के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण/वर्तमान गैर निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 29-4-2004 को आराजी कुल किता 9 कुल रकबा 6-24है0 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र को विधिवत रुप से स्वीकार किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को अविधिक रुप से स्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि प्रश्नगत आराजी खेमा की रही है जिसके वारिसान प्रार्थीगण हैं। नामांतरकरण उसके दो पुत्रों माधू व किशनलाल के नाम खोला गया जब कि प्रार्थीगण भी खेमा के विधिक वारिसान हैं। राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के नाम अंकित होने से, आराजी के रहन, बैय, हस्तान्तरण का अंदेशा है, अतः इस प्रकार की स्थिति को ध्यान मे रखते हुये ही	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6242/2005/चित्तोडगढ झुमकू बनाम कमला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परीक्षण न्यायालय ने विधिक रुप से दिनांक 29-4-2004 को निर्णय पारित किया है, जिसमें बिना किसी ठोस आधार के, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10-11-2005 से अपील स्वीकार कर, अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। पक्षकारान के मध्य मूल वाद विचाराधीन है, अतः वादग्रस्त भूमि की स्थिति को यथावत रखा जाना आवश्यक है। अपील स्वीकार की जाये और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। । अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय व परीक्षण न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत करने पर परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, कपासन ने दिनांक 29-4-2004 के आदेश से प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है और अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10-11-2005 से अपील को स्वीकार किया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की फोटो प्रति के अनुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान किशन, माधु पिता खेमा जाट0 सा0 देह हि0ब0 खातेदार अंकित है और माधु के फौत होने पर उसके 1/2 हिस्से को उसके वारिसान गैर निगराकारान संख्या 1 से 3 के नाम नामांतरकरण संख्या 631 स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि गेर निगराकारान प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं और अभिलिखित खातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। जहॉ तक प्रश्नगत आराजी के खेमा के होने और खेमा के फौत होने पर उसवके स्थान पर निगराकारान का हिस्सा होने का सम्बन्ध है तो प्रकरण में निहित मूल बिन्दु आया वादग्रस्त भूमि पैत्रक भूमि रही है या नहीं, इसका निर्धारण उभय पक्षीय साक्ष्य व शहादत के आधार पर तय हो सकेगा। वर्तमान परिस्थिति में गैर निगराकारान अभिलिखित खातेदार होने से, अभिलिखित खातेदारान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी / टिए / 6242 / 2005 / चित्तोडगढ झुमकू बनाम कमला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आर0एल0डब्ल्यू0 2012 (1) आर0जे0 पेज 60 में भी अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने को उचित नहीं माना है। परीक्षण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का तय किये बिना ही आदेश पारित किया है और इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के आधार पर न्यायोचित निर्णय पारित किया है। निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होने से, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	